राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2359 व 2360/2016.....जिला :दौसा
मैसर्स दयाल एजेन्सीज, महवा,दौसा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत–दौसा व अपीलीय प्राधिकारी तृतीय,वाणिज्यिक कर,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.11.2016	**खण्डपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री जे.एन.शर्मा,अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त दोनों अपीले उपायुक्त (अपील्स)तृतीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी''कहा जायेगा) के द्वारा क्रमांक 133 व 125/अपील्स–तृतीय/स्थगन/2016–17 में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 03.10.2016 व 27.09.2016, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत दौसा (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25 व 55 के अन्तर्गत पृथक–पृथक पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.06.2016 निर्धारण वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के सम्बन्ध में कायम की गयी क्रमशः मांग राशि रू. 2,31,114/–– एवं 57,122/–में से रू. 2,18,344/–एवं 53,742/– की वसूली पर रोक लगाने हेतु आवेदन किया गया है, जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त मांग की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपने तर्को में कथन किया गया है कि विवादित ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी को मीठी गोलीं मानते हुए 5 प्रतिशत की दर से बिक्री कर, कर संग्रहित किया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वस्तुओं को मीठी गोली को 'कन्फेक्शनरी' की श्रेणी में मानते हुए इसकी बिक्री को 14 प्रतिशत से कर योग्य माना गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया। प्रत्यर्थी–पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया। उभयपक्षीय की बहस सुनी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। रेकार्ड एवं आदेशों के 15/11/16	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2359 व 2360/2016.....जिला :दौसा
मैसर्स दयाल एजेन्सीज, महवा,दौसा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत–दौसा व अपीलीय प्राधिकारी तृतीय,वाणिज्यिक कर,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.11.2016	अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत अपीलें में कर दर का प्रश्न निहित है। दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवं उभय पक्षीय तर्कों पर विचार करने के पश्चात स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी ने स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने के कारणों का अंकन अपीलाधीन आदेशों में नहीं किया है। अतः अपीलों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना वसूली योग्य राशि रू. 2,18,344/– एवं रू. 53,7427/– के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत पेश करने की शर्त पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा । अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की तिथि से आगामी 3 माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। 15.11.16 (राजीव चौधरी) सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	